दिनांक–30.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 67ग पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 67ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट सं0–12398/2025 श्रीमती प्रियंका सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ए0डी0जे0 आदि दाखिल किया है, जिसकी नेट से निकाली गयी प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में जबकि साक्ष्य से संबंधित न्यायालय का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती पूर्ण दशा में विचाराधीन है। अतः मुकदमा की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट सं0–12398/2025 के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किये जाने का आदेश देने की याचना की गयी है।

याची की ओर से मौखिक आपत्ति कर प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत दिनांक को विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह की ओर से साक्ष्य का अवसर दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 66ग प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय द्वारा मु0. 3,000/–रूपये हर्जे पर विपक्षी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया था। विपक्षी की ओर से आज न तो हर्जा अदा किया गया है और न ही कोई गवाह प्रस्तुत किया गया है, न ही किसी को परीक्षित कराये जाने हेतु कोई साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय का शीघ्र निस्तारण का आदेश है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर मामले को लंबित रखना चाहता है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत राते हुये विपक्षी संजू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 67ग निरस्त किया जाता है तथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका साक्ष्य का अवसर पुनः समाप्त किया जाता है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।

अपर जिला जज, न्यायालय सं0–1,
गोरखपुर।